



अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

.....कृष्णा..... बनाम डिलीप वगैरह ।
किस्म मुकदमा-75 राज.भू-राजस्व अधिनियम
अपील संख्या 2/2023 (नसीराबाद)

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
करने लौटाई धारी है।
01/02/2023

2023/57

	<p>श्री सीताराम रावत एड</p> <p>श्री</p>	
<p>23.01.2023</p>	<p>.....<u>कृष्णा</u>..... बनाम <u>डिलीप</u> वगैरह (2023/)</p> <p>यह अपील श्री सीताराम रावत एडवोकेट ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भिनाय के संपरिवर्तन आदेश दिनांक 18.10.2022 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. (अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत) पेश किया गया। अपील मियाद बाहर पेश की गई है जिसमें समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया गया। अपील की पुस्त की रिपोर्ट के अनुसार अपील के क्षेत्राधिकार पर बहस आवश्यक है। अपील के क्षेत्राधिकार पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश अपील क्षेत्राधिकार दिनांक 01.02.2023 को पेश हो।</p> <p> राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर</p>	
<p>01.02.2023</p>	<p>पत्रावली वास्ते आदेश अपील क्षेत्राधिकार हेतु पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अपील के क्षेत्राधिकार पर अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 23.01.2023 को सुना गया।</p> <p>अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील क्षेत्राधिकार पर बहस करते हुए बताया कि तहसीलदार, भिनाय द्वारा दिनांक 18.10.2022 को उपखण्ड अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी के तहत संपरिवर्तन आदेश दिये है जिसकी अपील माननीय न्यायालय के समक्ष ही प्रस्तुत की जायेगी। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम तथा रथगन प्रार्थना पत्र पर सुना जावे।</p> <p>अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अपील व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 (क) अनुसार भू-प्रबन्धक अथवा भूमि अभिलेख से असम्बन्धित मामलो में तहसीलदारों द्वारा दी गई गूल आज्ञा से प्रथम अपील जिला कलक्टर के समक्ष ही प्रस्तुत की जायेगी। इस प्रकार यह अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार की नहीं होने से अपीलार्थी/अपीलार्थी अभिभाषक को समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाई जाती है। अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर नम्बर से की जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p> राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर</p>	<p>मूल अपील अजमेर सी.ए.एम.एस. 3-2-23</p>